

शहडोल/उमरिया/सिंगरौली

शहडोल, बुढ़ार, गोहपारू, जयसिंहनगर, ब्यौहारी, जैतपुर

6

घर लौट रहे बुजुर्ग पर भालू ने किया हमला जांघ पर गहरी चोट, गांवों में अलर्ट जारी

उमरिया, देशबन्धु। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे रायपुर क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम एक भालू के हमले में 65 वर्षीय ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं वन विभाग ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर गश्त बढ़ा दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार धमोखर परिक्षेत्र के कुम्हरी गांव निवासी कमल सिंह शुक्रवार को रायपुर गांव से शाम के समय गेहूं पिसवाकर सुनसान रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। जब वे राजस्व क्षेत्र महाआ हार के पास पहुंचे, तभी अचानक उनका सामना दो भालूओं से हो गया। इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में कमल सिंह की जांघ पर गहरी चोट आई है। ग्रामीणों की मदद से उन्हें



तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत गंभीर तो है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही टाइगर रिजर्व के अधिकारी और वन अमला

जिला अस्पताल पहुंचा। अधिकारियों ने घायल का हालचाल जाना और उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की। एहतियात के तौर पर टाइगर रिजर्व का एक कर्मचारी अस्पताल में तैनात किया गया है, ताकि पीड़ित परिवार को किसी तरह

की दिक्कत न हो।

भालू के हमले की खबर फैलते ही रायपुर और आसपास के गांवों में भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वन अमले ने क्षेत्र में लगातार गश्त शुरू कर दी है और भालूओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में इन दिनों वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ जाती है, इसलिए विशेष सतर्कता जरूरी है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल या उससे लगे इलाकों में अकेले न जाएं। खेतों या सुनसान रास्तों पर समूह में निकलें और शाम के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

खनन माफिया पर पुलिस का डंडा

दो थानों में रेत चोरी करते ट्रैक्टर जब्त, आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज

शहडोल, देशबन्धु। जिले में खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ दिया है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में रेत की चोरी करते दो ट्रैक्टर जब्त कर आरोपियों पर कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

पहली कार्रवाई देवलौद थाना क्षेत्र के सोनधाडियाल गोपालपुर में हुई। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को धर दबोचा। थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि आरोपी विनय मिश्रा के खिलाफ खनिज अधिनियम एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सोन धडियाल क्षेत्र संरक्षित होने के बावजूद वहां से अवैध रेत निकाली जा रही थी।

इसी तरह दूसरी कार्रवाई ब्यौहारी थाना क्षेत्र में की गई। ग्राम खामडांड से रेत चोरी करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस मामले में राहुल उर्फ सोनी खैरवार (30) एवं हिमांशु सिंह, दोनों निवासी खामडांड के खिलाफ मामला दर्ज किया



गया है। थाना प्रभारी जिया उल हक और उनकी टीम को इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। गौरतलब है कि हाल ही में सोहागपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर एक रेंजर को घायल कर दिया था। इसके बाद से जिले में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार हो रही छापामार कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का साफ संदेश है कि अवैध खनन और परिवहन पर अब बख्शीश नहीं, सीधे सख्त कार्रवाई होगी।

सार-समाचार

राज्य मंत्री एवं विधायक सिंगरौली ने कृषि विज्ञान मेले का किया शुभारंभ

सिंगरौली, देशबन्धु। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र देवरा में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती राधा सिंह राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट अतिथि रामनिवास शाह विधायक सिंगरौली ने दीप प्रज्वलित कर कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया एवं मेले में लगी

प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मेले में बड़ी संख्या में तीनों विकासखंडों से कृषक शामिल हुए। विभिन्न विभागों एवं निजी संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाकर खेती से जुड़ी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत उन्नतशील बीज, उन्नतशील द्रव्य शीतल एवं प्राकृतिक खेती के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। मेले के आयोजन के दौरान राधा सिंह ने किसानों को श्रीअन्न की खेती किए जाने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि श्रीअन्न के सेवन करना रोगों की रोकथाम के लिए लाभदायक है। मुनगे में पोषक तत्व वैल्यू अधिक होती है, इसकी खेती करके किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने किसानों को हर गांव में तालाब का निर्माण कर जल संरक्षण का कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया, वहीं कार्यक्रम में विधायक रामनिवास शाह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कृषि के क्षेत्र में जल संरक्षण मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाना आवश्यक है। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित कृषि का भी परिकल्पना साकार होगी। इसी के साथ प्रगतिशील कृषक आशीष शाह ने सज्जी की खेती प्राकृतिक विधि से करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया एवं सफलता की कहानी अपनी जुबानी कृषकों को सुनाई।

गुनौर विधायक ने देवगांव में विकास कार्यों का किया लोकार्पण

पन्ना, देशबन्धु। गुनौर विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने शनिवार को ग्राम देवगांव में ग्रामवासियों को विकास कार्यों की सीमागत प्रदान की। विधायक द्वारा 40 लाख रूपए लागत के सीसी रोड एवं पुलिया निर्माण का लोकार्पण किया गया। गुनौर विकासखंड को ग्राम पंचायत हरदाही अंतर्गत देवगांव में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामों के चहुंमुखी विकास के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इन कार्यों को पूर्ण करने में राशि अथवा बजट का कोई अभाव नहीं रहेगा।

हर ग्राम पंचायत में एक करोड़ रूपए राशि तक के विकास संबंधी कार्यों को कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों को गुणवत्तापरक कार्यों के संबंध में नसीहत दी गई। साथ ही गुणवत्ताहीन कार्य पाए जाने पर जवाबदेही तय कर कार्यवाही की चेतावनी भी दी। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा तथा आमजनों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने की मंशा से सुविधा व सेवाओं के निरंतर सुदृढ़ीकरण पर भी जोर रहेगा। कार्यक्रम में जप अध्येक्ष जलसीबाई आदिवासी, सरपंच दीपा राजे परमार एवं प्रीति पटेल सहित नायब तहसीलदार राजेश मेहरा, बृजेन्द्र खम्मरिया, दिव्यांशु दाहिया, धर्मनंद तिवारी, सोनू पाठक, साहब सिंह परमार, रामसजीवन मिश्रा, अवध बिहारी मिश्रा, प्रह्लाद उपाध्याय, राजेन्द्र चौबे तथा ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

लाडली बहनों को मिली फरवरी माह की सहायता राशि

पन्ना, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को खण्डवा जिले के पंधाना से सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहनों को वर्तमान फरवरी माह की आर्थिक सहायता राशि का अंतरण किया। इस मौके पर कलेक्टर परिसर स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की महिला हितग्राहियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भागीदारी की तथा कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारीगण भी मौजूद थे। जिले की सभी ग्राम पंचायतों, ग्रामों और वार्डों में भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। पन्ना जिले की एक लाख 80 हजार 451 लाडली बहनों को 26 करोड़ 58 लाख रूपए का भुगतान किया गया।

नियम विरुद्ध परिवहन करते दो बसें जब्त

महुआगवा-सरई-सीधी-रीवा मार्ग पर ओवरलोड रेत-राखड़ परिवहन पर सख्ती

सिंगरौली, देशबन्धु। जिला कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित डीएल (जिला स्तरीय) बैठक में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के पालन में परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा जिले में संयुक्त रूप से सघन जांच एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वैधानिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

डीएल बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया था कि ओवरलोड राखड़ (फलाई ऐश), कोयला, रेत एवं गिट्टी का अवैध परिवहन, बिना तिरपाल खुले परिवहन तथा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के



मार्गदर्शन में तथा खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में महुआगवा-सरई से सीधी-रीवा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 2 बसें नियमविरुद्ध आवागमन करती पाई गईं, जिन पर चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित वाहन क्रमांक एमपी 53 जेडई 9125 एवं एमपी 53 पी 0725 के चालकों को जनजागरूकता मिशन के तहत नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। वहीं, ओवरलोड रेत

परिवहन करते पाए गए वाहन क्रमांक एमपी 53 जेडसी 5860 को नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सुरक्षार्थ निवास चौकी परिसर में खड़ा कराते हुए जल्दी की कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम द्वारा प्रदूषण मानक, ओवरलोडिंग, खनिज परिवहन अनुमति, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र सहित अन्य वैधानिक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध ताबडुडो चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की गई। यह संयुक्त अभियान सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधा-पचौर-महुआगवा से निगरी चौकी तक संचालित किया गया। सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशानुसार चिन्हित मालवाहक वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिससे रात्रिकालीन दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। परिवहन एवं खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से स्पष्ट चेतावनी दी है।

दुलहरी सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं के आरोप, विधि-संगत कार्रवाई की मांग

उमरिया, देशबन्धु। जिले के करके ली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलहरी में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना एक बार फिर सवाल के घेरे में है। किसानों और स्थानीय ग्रामीणों ने परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी तकनीकी मापदंडों के उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन और तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। परियोजना की मेड़ नहर और संरचनात्मक निर्माण में गुणवत्ता की कमी साफ दिखाई दे रही है। आरोप यह भी है कि संबंधित विभागीय अधिकारियों की मौन सहमति से ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे शासकीय धन का दुरुपयोग होने की आशंका है।

स्थानीय अनदाताओं का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच नहीं कराई गई तो यह परियोजना किसानों के हितों के

विपरीत साबित हो सकती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया लंबित है और प्रभावित परिवारों को अभी तक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

किसानों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि परियोजना की थर्ड पार्टी तकनीकी जांच कराई जाए, कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन (स्पॉट इंस्पेक्शन) वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाए, स्वीकृत प्राक्कलन माप पुस्तिका (एमबी) एवं भुगतान विवरण को सार्वजनिक किया जाए, दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम एवं प्रासंगिक वित्तीय नियमों के तहत विधि-संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जांच और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे सख्त प्राधिकारी, लोकायुक्त एवं उच्च प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराने का बाध्य होंगे।

शहडोल में 12वीं के छात्र की पिटाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा-अफसरों को बनाया लडैट

शहडोल, देशबन्धु। जिले में 12वीं के छात्र को हिरासत में लेकर जेल भेजने के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में नेताओं ने प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोला।

पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने मंच से कहा, अगर आज कलेक्टर यहां होते, तो हम भी लाठी मारते। वहीं बिल्डिंग विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कलेक्टरों को लडैट बना दिया गया है।

ये है मामला विगत 8 फरवरी को सीएम डॉ. मोहन यादव धनुपुरी में कार्यक्रम के लिए शहडोल पहुंचे थे। गोपालपुर तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। हंगामे के बाद पुलिस ने करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया। इसी दौरान 17



साल 8 महीने का एक छात्र भी पकड़ा गया। आरोप है कि मौके पर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। छात्र को धारा 151 के तहत वर्यस्क मानते हुए जेल भेज दिया गया।

परिजनों का आरोप है कि समय पर उम्र की जांच होती तो छात्र की परीक्षा नहीं छूटती।

एसपी ने कहा था-बाद में नाबालिग होने की पुष्टि एसपी रामजी श्रीवास्तव ने कहा कि गिरफ्तार लोगों द्वारा बताई गई उम्र के आधार पर दस्तावेज तैयार किए गए थे। शहडोल जेल की आईजी चैत्रा एन. के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय उम्र स्पष्ट नहीं हो पाई थी, बाद में नाबालिग होने की पुष्टि हुई। मामले में वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है।

तालाब किनारे लावारिस मिले आधार कार्ड और बैंक दस्तावेज उमरिया में कागजों का ढेर देख लोगों ने दी सूचना, पुलिस ने किया जब्त

उमरिया, देशबन्धु। उमरिया जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 19 में स्थित एक तालाब के किनारे बड़ी संख्या कागजों उपलब्ध नहीं कराई गई है।

जुड़े जरूरी कागज लावारिस हालत में मिले। जैसे ही यह बात इलाके में फैली, लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आधार कार्ड और दस्तावेजों को कब्जे में लिया।

शनिवार को स्थानीय निवासी विनायक चौहान अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तालाब की मेड़ के पास उन्हें कागजों का एक ढेर दिखाई दिया। पास



जाकर देखा तो कई लोगों के आधार कार्ड, बैंक के दस्तावेज और अन्य कागज बिखरे पड़े थे। मामले को गंभीर समझते हुए विनायक चौहान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र

में तलाश की। पुलिस ने वहां से सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

मालिकों की पहचान में जुटी पुलिस-पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दस्तावेज यहां कैसे पहुंचे और किसने फेंके। साथ ही कागजों में दर्ज नाम और पते के आधार पर उनके असली मालिकों की पहचान की जा रही है। थाना प्रभारी मदन लाल मरावी ने बताया कि तालाब किनारे आधार कार्ड और बैंक से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सभी कागजात जब्त कर लिए गए हैं और मामले की जांच जारी है।

मानपुर में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध सात दिन पहले लेनी होगी मंजूरी, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

उमरिया, देशबन्धु। जिले के मानपुर विकासखंड में प्रशासन ने बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली या आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय रेत उत्खनन के मुद्दे पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बाद लिया गया है।

प्रशासन के अनुसार, बार-बार हो रहे इन प्रदर्शनों से कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इससे शासकीय कार्यालयों के कामकाज में बाधा आ रही थी, यातायात अवरुद्ध हो रहा था और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने दिया निर्देश-इन परिस्थितियों को देखते हुए, लोक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी राजस्व और पुलिस अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए



हैं। नए नियमों के तहत, अब किसी भी प्रकार का धरना या प्रदर्शन करने से कम से कम सात दिन पहले सख्त अधिकारी के पास लिखित आवेदन देकर स्पष्ट किया है कि आदेश का बिना वैध अनुमति के किसी भी तरह का जमावड़ा या एकत्रीकरण अवैध माना जाएगा।

बिना अनुमति टेंट देने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई-इसके अलावा, धरना-प्रदर्शनों में टेंट लगाने वाले ठेकेदारों को भी पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई ठेकेदार बिना वैध अनुमति के टेंट उपलब्ध कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन को अनाधिकृत धरना-प्रदर्शनों को तुरंत समाप्त कराने और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने का भी अधिकार दिया गया है।